लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
087/2022 (GCMS 2022/451)	14.12.2022	23.12.2022

अनवान

ओ. पी. टेलर निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं. 7742644681)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./087/2022(सू.अ.)(21.12.2022)/944 दिनांक 14.12.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.12.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 21.12.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र से सूचित करने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/884 दिनांक 20.12.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/366 दिनांक 22.09.2022 से वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थी को लिखा गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2022 को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक/1108 जयपुर दिनांक 11.05.2022 के पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, जिसके प्रत्युत्तर में निवेदन यह है कि प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय को पूर्व में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12–12() 21/1677 दिनांक 27.09.2021 से उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तथा इसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/63 दिनांक 26.11.2021 से भिजवायी जा चुकी हैं।
2. यह कि उक्तानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।
3. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/884 दिनांक 20.12.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.09.2022 को प्रस्तुत आवेदन द्वारा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 1108 दिनांक 11.05.2022 में वर्णित अपीलार्थी के पूर्व पत्र क्रमांक/361 दिनांक 08.02.2022 के संदर्भ में की गयी कार्यवाही के बारे में सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, पर की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी हैं। इस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/366 दिनांक 22.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2022 को वांछित सूचना का स्पष्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवरण उपलब्ध कराया गया। परन्तु दिनांक 03.10.2022 को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी, इसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी स्पष्ट प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करते हुए अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 09.08.2021 को प्रस्तुत आवेदन पर की गयी कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया हैं, जबकि अपीलार्थी द्वारा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक 1108 दिनांक 11.05.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की **वर्तमान स्थिति एवं प्रगति अर्थात् दिनांक 11.05.2022 के पश्चात् की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गयी हैं,** जिसके संबंध में कोई भी स्पष्ट विवरण/प्रत्युत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराते हुए पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पर की गयी कार्यवाही की ही सूचना उपलब्ध कराई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवेदन दिनांक 10.09.2022 से वांछित सूचना उसे आदिनांक तक अप्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस में अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**23.12.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)